<u>प्रेस नोट दिनांक 30.01.2025 थाना बारादरी बरेली</u>

<u>थाना बारादरी पुलिस द्वारा तंत्र मंत्र कर खजाना खोजने व नकली हत्या का षडयन्त्र कर पैसा वसुलने वाले गैंग का पर्दाफास कर कुल 05 अभियुक्तो को घटना में प्रयुक्त कार व पीतल का कलश व नकली पीली धातु के 18 सिक्के तथा पीडित से जालसाजी कर प्राप्त किये गये कुल 27000 रूपये तथा एक अदद तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा 03 अदद चाकू एवं 05 अदद मोबाइल बरामद कर गिरफ्तार किया गया है।</u>

दिनांक 29.01.2025 को पीडित मोहनलाल पुत्र मदन लाल नि0 ग्राम बरोर थाना वजीरगंज , बदायूं द्वारा थाना बारादरी बरेली पर एक लिखित तहरीर दी कि मैं एक माह पहले सैटेलाइट बस स्टैण्ड बरेली पर काम से आया था तो मेरी मुलाकत एक भूरा खां नामक व्यक्ति से हुई वह मुझे हाल चाल पूछते हुए कहां कि भाई तुम बहुत परेशान हो क्या बात है और बातो बातों में ही विश्वास में लेकर कहने लगा कि तुम्हारे व तुम्हारे घर के ऊपर किसी न कोई माया की कार्यवाही कर दिया है, इस कारण तुम परेशान हो जबकि तुम्हे खुशहाल होना चाहिए उसने बताया कि मैं एक पहुँचे हुए तांत्रिक को जानता हूँ जो ऊपरी बाधा को दूर करते है। अगर कहो तो मैं उन्हें बुला दूँ। और फिर विश्वास में लेकर मेरे साथ मेरे घर आ गया रात में रह कर सुबह चला गया चार-पांच दिन बाद भूरा अपने साथ एक दाड़ी वाले मौलवी व 3 अन्य लोगो को लेकर घर आया और सभी पांचो ने मिलकर मेरा घर खेत आदि जगहो पर घूमा एवं रात को मौलवी ने अपने जिन्नाद को बुलाया जो आकाश में था मुझे दिखायी नहीं दे रहा था ये ही पांचो लोगो से बात कर रहा था लगभग एक घन्टे तक तन्त्र मन्त्र करने के बाद मौलवी ने बताया कि मेरे खेत में घड़े में सोने के सिक्को से भरा खजाना दबा है तथा कई बार में मुझसे खजाना खोजने तथा मौलवी को भस्म खाने के नाम पर कुल 04 लाख 77 हजार रूपये ले लिये। दिनांक 25.01.2025 को मौलवी व भूरा अपने दो साथियो के साथ मेरे घर आये और मुझे खेत में एकान्त में ले गये और मुझसे घर से कलश मंगाकर तंत्र मंत्र करने लगे तब तक एक आदमी अचानक आया और मौलवी को गोली मार दी जिससे मौलवी के काफी खून निकल रहा था। जिसमें मैं काफी डर गया था और मैं वहां से भाग गया था ,इसके बाद इन लोगो का सुबह फोन आया कि मौलवी मर गया है तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखा जायेगा। उसका पोस्टमार्टम काराय जा रहा है अगर तुम हमें 10 लाख रूपये दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा नही लिखायेगे। इसके बाद 06 लाख रूपये

में सौदा तय हुआ । उक्त सूचना के आधार पर थाना बारादरी पर 29.01.2025 को मु0अ0सं0-0083/2025 धारा 318(4)/316(2)/308(2) बीएनएस बनाम भूरा व मौलवी आदि लोगो के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना थाना बारादरी पुलिस द्वारा की गयी । वादी को साथ लेकर एवं सर्विलान्स तथा मुखबिरो आदि के सहयोग से घटना कारित करने वाले गैंग को विकास भवन के आगे खाली पडे ग्राउण्ड से छापा मारकर **05 अभियुक्त 1. इकलास पुत्र काले खाँ नि0 ग्राम अम्बरपुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली उम्र 45 वर्ष, 2. भूरा खाँ पुत्र जुम्मा खाँ नि0 ओसी थाना शाहबाद जिला रामपुर उम्र 45 वर्ष, 3. मोहम्मद रज़ा पुत्र गफूर खाँ नि0 ग्राम ओसी थाना शहाबाद जिला रामपुर उम्र 40 वर्ष, 4. लियाकत खाँ पुत्र काले खाँ नि0 ग्राम अम्बरपुर थाना भोजीपुरा, बरेली उम्र 30 वर्ष, 5. शाहमीर खाँ पुत्र सईद खाँ नि0 ग्राम अम्बरपुर थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र 42 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियो के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद कार व पीतल का कलश व नकली पीली धातु के 18 सिक्के तथा पीडित से जालसाजी कर प्राप्त किये गये कुल 27000 रूपये तथा एक अदद तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा 03 अदद चाकू एवं 05 अदद मोबाइल बरामद किये गये है बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट की बढौत्तरी की गयी तथा सभी मुल्जिमो को मा0 न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त –

1. इकलास पुत्र काले खाँ नि0 ग्राम अम्बरपुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली उम्र 45 वर्ष,
2. भूरा खाँ पुत्र जुम्मा खाँ नि0 ओसी थाना शाहबाद जिला रामपुर उम्र 45 वर्ष,
3. मोहम्मद रज़ा पुत्र गफूर खाँ नि0 ग्राम ओसी थाना शहाबाद जिला रामपुर उम्र 40 वर्ष,
4. लियाकत खाँ पुत्र काले खाँ नि0 ग्राम अम्बरपुर थाना भोजीपुरा, बरेली उम्र 30 वर्ष,
5. शाहमीर खाँ पुत्र सईद खाँ नि0 ग्राम अम्बरपुर थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र 42 वर्ष

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास ....

1. **इकलास पुत्र काले खाँ नि0 ग्राम अम्बरपुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली उम्र 45 वर्ष,**
   मु0अ0सं0- 83/2025 धारा 318(4)/316(2)/308(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली
   मु0अ0सं0 770/2012 धारा 323/324/325/504 आईपीसी थाना भोजीपुरा बरेली
   मु0अ0सं0 784/2013 धारा 363/366/376 आईपीसी थाना भोजीपुरा बरेली

2. भूरा खाँ पुत्र जुम्मा खाँ नि0 ओसी थाना शाहबाद जिला रामपुर उम्र 45 वर्ष

मु0अ0सं0- 83/2025 धारा 318(4)/316(2)/308(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली

मु0अ0सं0- 101/2017 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधि0 थाना मीरगंज बरेली

3. मोहम्मद रज़ा पुत्र गफ़ूर खाँ नि0 ग्राम ओसी थाना शहाबाद जिला रामपुर उम्र 40 वर्ष,

मु0अ0सं0- 83/2025 धारा 318(4)/316(2)/308(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट बारादरी बरेली

4. लियाकत खाँ पुत्र काले खाँ नि0 ग्राम अम्बरपुर थाना भोजीपुरा, बरेली उम्र 30 वर्ष,

मु0अ0सं0- 83/2025 धारा 318(4)/316(2)/308(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली

मु0अ0सं0- 0003/2021 धारा 420 भादवि थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली

5. शाहमीर खाँ पुत्र सईद खाँ नि0 ग्राम अम्बरपुर थाना भोजीपुरा जिला बरेली उम्र 42 वर्ष

मु0अ0सं0- 83/2025 धारा 318(4)/316(2)/308(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट थाना बारादरी बरेली

विवरण पूछताछः-

अभियुक्त गण से पूछताछ में बताया कि हम लोग एक दूसरे के रिस्तेदार है , हम लोगो का एक गैंग है जो रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के पास ऐसे लोगो को तलाश करते है जो घर परिवार से परेशान होकर घूमते रहते है ऐसे लोगो को विश्वास में लेकर बात करने का काम हमारे गैंग के सदस्य भूरा द्वारा उसे विश्वास में लेकर उसकी समस्या दूर करने के लिए मौलवी के रूप में मो0 रजा को उसके साथी इकलास खां व लियाकत तथा शाहमीर के साथ उसके घर जाकर मकान व घर में घूमकर यह विश्वास दिलाते है कि तुम्हारे घर के ऊपर किसी ने कार्यवाही कर दिया है तथा तुम्हारे घरो में खजाना गड़ा हुआ है और फिर उसे विश्वास में लेकर तंत्र मंत्र एवं मौलवी द्वारा भस्म खाकर जिन्नाद आदि से बात कर धीरे धीरे पैसे लिये जाते है और एक दिन हमारे गैंग का सदस्य रात्रि में जाकर उस व्यक्ति के खेत में जमीन में गड्डे में एक कलश तथा उसमें कुछ कंकड के टुकडे एवं पीतल के पुराने सिक्के जो देखने में सोने जैसे दिखते है , छिपा आता है और उसके अगले दिन हमारी पूरी टीम उस व्यक्ति के घर जाकर रूक कर रात्रि में खेत में जाकर तंत्र मंत्र का नाटक कर वही कलश बाहर निकालते है और उसमें से एक दो सिक्के निकाल कर दिखाकर पूर्ण विश्वास में लेकर यह बताकर कि किसी को मत बताना इस कलश को घर के अन्दर छिपा देना , कुछ दिन बाद हम लोग आयेगे और फिर तंत्र मंत्र कर सिद्ध करेगे तब इसे खोला जायेगा और फिर कुछ दिन रूककर पुनः उस व्यक्ति के घर जाते है और उसी स्थान पर तंत्र मंत्र कर रहे होते कि तब तक हमारे गैंग का ही सदस्य अचानक मौके पर आता है और फायर करता है और मौलवी मरने का नाटक करता है मौलवी पहले से ही अपने सीने के पास गुब्बारे में बकरे या मुर्गे का खून

छिपाकर रखता है फाय़र की आवाज होने पर सीने पर हाथ रखकर गुब्बारा फोड देता है जिससे खून फैल जाता है और वह व्यक्ति घबरा कर या तो भाग जाता या बेहोस हो जाता है और हमारा गैंग मौका पाकर मौलवी को लेकर भाग जाते है और फिर मौलवी को मरा दिखाकर उस व्यक्ति से पैसा वसूलते है। इसके लिये हम लोग मौलवी के शव का नकली फोटो व अन्य कई तरह से दबाव बनाते है हम लोगो का शिकार मोहन लाल था, जिससे पहले हम लोगो ने कई बार में 04 लाख से अधिक की रकम ली थी और अब मरने के नाम पर 06 लाख रूपये में सौदा तय हुआ था जिसे मोहन लाल को हमें 29.01.2025 को देना था किन्तु पैसे का जुगाड़ न होने के कारण एक दिन का अतिरिक्त समय लिया था और आज पैसा देने के लिये बुलाया था कि पकड़े गये। यह हम लोगो का पहला सफल अपराध था इससे पहले कई बार हम लोग प्रयास किये लेकिन सफल नही हो पाये थे।

विवरण बरामदगी

01.एक अदद कार नं0- UP 32 GX 8402 Celerio रंग ग्रे (घटना में प्रयुक्त)

02.एक अदद तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर (घटना में प्रयुक्त)

03. एक अदद कलश पीली धातु (घटना में प्रयुक्त)

04. 18 अदद सिक्के पीली धातु (घटना में प्रयुक्त)

05. 27000 रूपये नगद घटना से सम्बन्धित

06. 03 अदद चाकू

07. 05 अदद फोन मल्टीमीडिया विभिन्न कम्पनियो के

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधि0/कर्म0

प्रभारी निरीक्षक धनंन्जय कुमार पाण्डेय थाना बारादरी बरेली।

उ0नि0 जावेद अख्तर चौकी प्रभारी कांकरटोला थाना बारादरी बरेली।

उ0नि0 अखिलेश उपाध्याय चौकी प्रभारी श्यामगंज थाना बारादरी बरेली।

हे0का0 आसिफ अली थाना बारादरी बरेली।

हे0का0 1054 विशाल कुमार थाना बारादरी बरेली।

हे0का0 970 रविन कुमार थाना बारादरी बरेली।

हे0का0 960 मौ0 असलम थाना बारादरी बरेली।

का0 798 पंकज कुमार थाना बारादरी बरेली।